राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 37/2021 आवन्टन निरस्त

1. शंभू लाल पिता भवानीशंकर दरोगा निवासी बोर्डियास
2. रामेश्वरलाल पिता भवानीशंकर दरोगा निवासी–बोर्डियास
3. सतु लाल पिता भवानीशंकर दरोगा निवासी बोर्डियास
4. गुड्डी पुत्री भवानीशंकर दरोगा पत्नि पप्पु दरोगा निवासी बोर्डियास हाल कोदिया
5. पारसी पुत्री भवानीशंकर दरोगा पत्नि शंकर निवासी बोर्डिसास हॉल रामपुरिया तहसील बनेडा
6. मनभर पत्नि भवानीशंकर दरोगा निवासी बोर्डियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. मांगू पिता रामसुख कुम्हार निवासी गेंता पारोली,तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970

उपस्थित –

1. श्री प्रवीण सारस्वत अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री श्याम लाल गुर्जर अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेंट संख्या 1 को ग्राम गेंता पारोली पटवार हल्का गेंगा का खेड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील कोटडी में स्थित आराजी संख्या 15मी. रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा आराजियात आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.06.1989 को गलत एवं अवैध तरीके से आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होकर गलत है। उक्त आराजी की 15मी. भूमि पर 40 वर्षो से अधिक समय से अपीलार्थीगणों के दादा मिश्रीलाल दरोगा एवं अपीलार्थीगणों के पिता भवानीशंकर दरोगा का निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगणों के दादाजी व पिताजी के विरूद्व 01 की

तथा विपक्षी संख्या 2 ने भी इस हेतु प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने कहा गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को आराजी संख्या 15मी. रकबा 1 बीघा का किया गया आवंटन अपास्त करने व उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के नाम पर नियमन किए जाने हेतु आदेश किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि रेस्पोन्डेंट संख्या 1 को ग्राम गेंता पारोली पटवार हल्का गेंगा का खेड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील कोटडी में स्थित आराजी संख्या 15मी. रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा आराजियात आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.06.1989 को गलत एवं अवैध तरीके से आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होकर गलत है। उक्त आराजी की 15मी. भूमि पर 40 वर्षों से अधिक समय से अपीलार्थीगणों के दादा मिश्रीलाल दरोगा एवं अपीलार्थीगणों के पिता भवानीशंकर दरोगा का निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगणों के दादाजी व पिताजी के विरूद्ध 91 की कार्यवाही भी की गई। उक्त कार्यवाही के अनुक्रम में अपीलार्थीगण के दादा एवं पिता द्वारा राजकीय पेनल्टी राशि निरंतर रूप से भरी हैं। रेस्पोन्डेंट 2 द्वारा अपीलार्थीगण के दादा एवं पिता द्वारा जमा कराई गई रसीदें भी जारी की हुई है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी संख्या 15मी. का लगान भी समय समय पर प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा जमा कराया गया है। वर्ष 1989 से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17.08.2021 तक रेस्पोन्डेंट संख्या 1 कभी भी उक्त आराजियात के मौके पर नहीं आया एवं कोई काश्त भी उक्त आराजियात पर नहीं की गई है। रेस्पोन्डेंट 1 के नाम चली आ रही आराजी संख्या 15/31 पर अपीलार्थीगण के दादा व पिता का निरन्तर कब्जा होने से वर्ष 1984 से खसरा गिरदावरी होती रही जिसमें 15मी. पर कब्जा अपीलार्थीगण के दादा मिश्री लाल दरोगा द्वारा काश्त आदि किए जाने से खसरा गिरदावरी में मिश्री लाल दरोगा पिता रामचन्द्र दरोगा का नाम चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी संख्या 15मी. पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा व काश्त नहीं होने से आज दिनांक तक उक्त आराजियात का नक्शे में भी तरमीम नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में रेस्पोन्डेंट संख्या

मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13.06.1989 अनुसार, उक्त भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में विधिवत् तौर आवंटन किया जाना प्रकट होता हैं, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं।

विपक्षी संख्या 01 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 13.06.1989 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया जाना आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट होता हैं, किन्तु आवंटन के लगभग 32 वर्ष पश्चात् प्रार्थीगणों द्वारा उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र इतने लम्बे अंतराल के बाद बिना किसी ठोस कारणों के प्रस्तुत किया जाना विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं। प्रार्थीगणों द्वारा उक्त समय के अंतराल को कण्डोन किये जाने बाबत् भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया।

प्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि विपक्षी संख्या 01 आवंटी द्वारा आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नही की गयी, परन्तु प्रार्थीगणों ने ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी हो, एवं न ही प्रार्थीगणों ने ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी को मिस–रिप्रजेन्टेशन या फ्रोड तरीके से प्रश्नगत आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हो।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) सिद्व नही होने से तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी आवंटी को ग्राम गेता पारोली तहसील कोटडी की आराजी संख्या 15मी. में से रकबा 1 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटडी को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)